अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
28.11.25	कमलसिंह बनाम छोगासिंह वगैरह (2025/428)	

यह पत्रावली अभिभाषक अपीलांट द्वारा राजीनामा पेश किये जाने से आज तलब की गई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया, प्रति अभिभाषक रेस्पोडेन्ट को दी गई। अभिभाषक श्री सुरेन्द्रसिंह रावत ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 4/2, 4/3 की ओर से वकालतनामा पेश किया, जो शामिल मिसल हो। अभिभाषक उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी पर सुना गया। अभिभाषक रेस्पॉडेन्ट ने प्रार्थना पत्र पर अनापत्ति जाहिर की, अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकार किया जाता है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के विधिक वारिसान क्रमशः गंगा पत्नि रामसिंह, टीकमसिंह, हेमंत सिंह पुत्रगण स्व0 रामसिंह, प्रेम, सुनिता, यशोदा पुत्रिया स्व0 श्री रामसिंह जाति रावत निवासी हाल ग्राम परबतपुरा हथाई चौके के पास, तहसील व जिला अजमेर को रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है।

तत्पश्चात अभिभाषक उभयपक्ष ने राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रतिवादी/अपीलांट के विरूद्ध उक्त प्रकरण जिसमें वर्तमान खसरा नम्बर 922, 923, 924, 925 जिसके साबिक पूर्व वर्किंग खसरा नम्बर 1271, 1273, 1274 के संदर्भ में राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 131 भू0 राजस्व अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किया गया है।

यह कि उक्त वर्णित आराजीयात जिसके पूर्व खसरा नम्बर क्रमशः 1271, 1273, 1274 एवं अन्य सम्पूर्ण आराजीयात के संदर्भ में हम पक्षकारान के पिता–पूर्वज श्री रतनसिंह, छगनसिंह, छोगासिंह, लाखासिंह, मन्नासिंह, उर्फ मूनासिंह पुत्रान डूंगासिंह के मध्य आपसी सहमति इकारनामा के दिनांक 11.06. 1998 को आपसी सहमति से बंटवारा किया गया है, जिसका जमाबंदी संवत 2053 में जरिये नामान्तकरण संख्या 91 दिनांक 01.02.2005 के न्यायिक बंटवारा आदेश स्वीकृत किया जाकर प्रत्येक खातेदार–हिस्सेदारान के नाम अलग–अलग खाता तरमीम कर प्राप्त हक–हिस्से एवं सीमाओं के मध्येनजर तत्समय प्रभावी राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में खातेदारी इन्द्राज किया जाकर तद्नुसार नक्शा–ट्रेस में सीमाओं में तरमीम की गई।

हम पक्षकारान की वर्णित अराजीयात जिसका तथा वर्तमान नक्शा–ट्रेस में भी साबिक नक्शा–ट्रेस संन 1971–1972 के अनुरूप ही सीमाओं एवं भुजाओं की तरमीम जो कि मौके पर भौतिक रूप से कब्जे काश्त एवं उनके आकार–स्वरूप में हम समस्त खातेदार मौके पर काबिज–काश्त यथावत् पूर्व में किये गये आपसी सहमति एवं बंटवारा अनुसार वर्तमान नक्शा–ट्रेस में किसी प्रकार की कोई नक्शा–दुरूस्ती किये जाने की कोई आवश्यक्ता नही होने से हम पक्षकारान एवं हमारे वारिसान परिवारजन पूर्व एवं वर्तमान नक्शा–ट्रेस की सीमाओं अनुसार मौके पर काबिज–काश्त है, जिसके लिये पक्षकारान आपस में इस राजीनामा अनुसार बाध्य एवं पाबंद है तथा रहेंगे, साथ ही इस राजीनामानुसार भविष्य में भी हम पक्षकारान एवं हमारे वारिसान, परिवारजन एवं पश्चातवर्ती अन्य खरिदरान भी बाध्य एवं पाबंद होंगे एवं रहेंगे, जिसके लिये हमारे द्वारा यह राजीनामा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है।

अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त अपील प्रकरण को हम पक्षकारान आपसी राजीनामा एवं मौके की भौतिक एवं वास्तविक सीमाओं के

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2025/428/223 कमलसिंह / छोगासिंह

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व मय अहकाम जो हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	2025/428 श्री विजयसिंह रावत श्री सुरेन्द्र सिंह रावत 4/2/4/5	

लगातार

मध्येनजर तथा वर्तमान राजस्व नक्शा–ट्रेस खसरा नम्बर 922, 923, 924, 925
एवं अन्य आराजीयात की सीमाओं में किसी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं होने
से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 10/2020 उनवान छोगासिंह बनाम
कमलसिंह व अन्य में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांकित 30.07.2025 को
निरस्त/खारिज फरमाया जाकर उक्त आदेश की क्रियान्विति को निरस्त किये
जाने के आदेश फरमावें।

अभिभाषक रेस्पोडेन्टस ने उक्त राजीनामे पर सहमति जाहिर करते हुए अपील
को राजीनामानुसार स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। अपीलांट स्वयं
उपस्थित हुए जिनकी पहचान उनके अभिभाषक श्री विजय सिंह रावत द्वारा की
गई। रेस्पोडेन्ट छोगासिंह, मन्नासिंह, एवं रामसिंह के वारिसान हेमंतसिंह एवं
टीकमसिंह स्वयं उपस्थित हुए एवं आदेशिका पर सहमति स्वरूप हस्ताक्षर किये
जिनकी पहचान उनके अभिभाषक श्री सुरेन्द्रसिंह रावत द्वारा की गई।

अतः अपील अपीलांट उभयपक्ष द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर सहमति दिये
जाने से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ **न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,
नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 10/2020 बउनवान छोगासिंह व अन्य बनाम
कमलसिंह व अन्य में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.07.2025 को
निरस्त/खारिज** किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम
हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

न्यायालय श्रीमान् राजस्व अपील अधिकारी महोदय, अजमेर

राजस्व अपील डिक्री (टी.ए.) सं0 428/2025 जिला अजमेर

1. कमल सिंह पुत्र श्री लाखा सिंह
2. तारा सिंह पुत्र श्री लाखा सिंह
(दोनों जाति रावत निवासी : ग्राम चाट सरदारपुरा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।)

....अपीलांटस्

बनाम

1. छोगा सिंह पुत्र श्री डूंगा सिंह
2. मन्ना सिंह पुत्र श्री डूंगा सिंह
(दोनों जाति रावत निवासी : ग्राम चाट सरदारपुरा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।)
3. श्रीमति झूमी पत्नि स्व0 श्री रतन सिंह (फौत)
4. राम सिंह पुत्र श्री रतन सिंह जाति रावत निवासी : हाल ग्राम परवतपुरा हथाई चौक के पास, तहसील व जिला अजमेर।
5. राज्य सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय नसीराबाद जिला अजमेर ।

.....रेस्पोडेंटस्

अपील अन्तगर्त धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व निर्णय एवं डिक्री श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 10/2020 उनवान् ''छोगा सिंह व अन्य बनाम कमल सिंह व अन्य'' में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.07.2025 के विरूद्व

महोदय,

अपीलांटस् अपील के संक्षिप्त तथ्यों सहित माननीय न्यायालय से निवेदन करते है :-

यह कि रेस्पोडेंट सं0 1 लगायत 4 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व वादपत्र अन्तगर्त धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 131 भू-राजस्व अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किया जाकर उल्लेख किया कि वादग्रस्त आराजी वाकै ग्राम चाट सरदारपुरा पटवार क्षैत्र नयागांव भू-निरीक्षक क्षेत्र राजगढ़ तहसील नसीराबाद जिला अजमेर में अवस्थित है, जिसके साविक खसरा नम्बर 1271 रकवा 1-19-00 के हाल खसरा नम्बर 925 रकवा 0.11 व 922 रकबा 0.05 के खातेदार वादी-1 है तथा साबिक खसरा नम्बर 1273 रकवा 0-10-00 के हाल खसरा नम्बर 924 के खातेदार प्रतिवादी-1 है तथा साबिक खसरा नम्बर 1274 रकवा 3 विस्वा के हाल खसरा नम्बर 923 रकवा 0.02 गै0मु0 चाह स्थित है, जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1व 2 दोनों का 1/4 हिस्सा निहित है । ततूपश्चात् उल्लेख किया कि साविक खसरा नम्बर 1271 रकवा 1-19-00 के हाल खसरा नम्बर 922 व 925 के पश्चिम में वादीगण एवं प्रतिवादीगण का संयुक्त खातेदारी चाह साबिक खसरा नम्बर 1974 रकवा 3 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 923 रकवा रकवा 0.03 की आकृति एवं रकवा को पुराना नक्शा ट्रेस सन् 1971-72 की स्थिति को वंदोवस्त विभाग एवं अधिकारियों द्वारा गैरकानूनी रूप से आकृति छोटी कर रकवा कम कर दिया गया तथा प्रतिवादी सं0 1 के साविक खसरा नम्बर 1973 के हाल खसरा नम्बर 924 को वड़ा कर रकवा बढ़ा दिया गया तथा दावाकृत आराजी वादी-1 की भूमि 1971 रकवा 1-19-00 की दक्षिणी भुजा की स्थिति को परिवर्तित कर सीधी लाईन को एल-टाईप वर्तमान् नक्शा ट्रेस में बने हाल खसरा नम्बर 922 व 925 में गलत अंकन कर वर्तमान् नक्शा ट्रेस में त्रुटि कारित कर स्थिति वल दी गई है, जिसकी दुरूस्ती किये जाने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें । इस प्रकार उक्त वाद में प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि 924/1273 की भूमि को हड़पने एवं 923/1274 चाह कुंए पर कब्जा करने की नीयत से सीमाकंन करवाया गया, जिसमें इस प्रकार की कोई त्रुटि कारित नहीं होना पाया गया, इसके अलावा वादग्रस्त आराजीयात् का आपसी सहमति से बंटवारा हो चुका है, एवं सेटलमेंट के दौरान वादीगण द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं की गई,

लगातार......2

Scanned with CamScanner